ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 65

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		7785.00	18.99	7803.99	7394.55	18.84	7413.39	9105.00	19.49	9124.49
पूंजी		*1475.00*	*...*	*1475.00*	*1475.00*	*...*	*1475.00*	*100.00*	*...*	*100.00*
जोड़		**9260.00**	**18.99**	**9278.99**	**8869.55**	**18.84**	**8888.39**	**9205.00**	**19.49**	**9224.49**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	9.53	9.53	...	9.74	9.74	...	10.22	10.22
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना										
2. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता	2501	869.46	...	869.46	351.39	...	351.39	436.50	...	436.50
3. अन्य कार्यक्रम	2501	30.33	...	30.33	18.40	...	18.40	13.50	...	13.50
	3601	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	...	...	...
जोड़ - अन्य कार्यक्रम		**30.54**	**...**	**30.54**	**18.61**	**...**	**18.61**	**13.50**	**...**	**13.50**
जोड़ - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		**900.00**	**...**	**900.00**	**370.00**	**...**	**370.00**	**450.00**	**...**	**450.00**
जोड़ - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		**900.00**	**...**	**900.00**	**370.00**	**...**	**370.00**	**450.00**	**...**	**450.00**
ग्रामीण रोजगार										
4. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	3601	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00	2.50	...	2.50
	3602	0.86	...	0.86	0.86	...	0.86	0.86	...	0.86
	2505	1481.64	...	1481.64	1342.14	...	1342.14	1481.64	...	1481.64
	जोड़	*1485.00*	*...*	*1485.00*	*1345.00*	*...*	*1345.00*	*1485.00*	*...*	*1485.00*
5. रोजगार आश्वासन योजना										
	2505	1170.00	...	1170.00	1453.40	...	1453.40	1440.00	...	1440.00
जोड़-ग्रामीण रोजगार		2655.00	...	2655.00	2798.40	...	2798.40	2925.00	...	2925.00
आवास										
6. ग्रामीण आवास	2216	1439.00	...	1439.00	1390.00	...	1390.00	1284.30	...	1284.30
	4216	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	90.00	...	90.00
	जोड़	*1539.00*	*...*	*1539.00*	*1490.00*	*...*	*1490.00*	*1374.30*	*...*	*1374.30*
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण										
7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2235	643.50	...	643.50	643.50	...	643.50	751.50	...	751.50
8. अन्नपूर्णा	2235	90.00	...	90.00	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35
	3601	...	...	...	89.00	...	89.00	269.00	...	269.00
	3602	...	...	...	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65
	जोड़	*90.00*	*...*	*90.00*	*90.00*	*...*	*90.00*	*270.00*	*...*	*270.00*
जोड़ - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		**733.50**	**...**	**733.50**	**733.50**	**...**	**733.50**	**1021.50**	**...**	**1021.50**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
9. डीआरडीए प्रशासन	2515	198.00	...	198.00	178.00	...	178.00	198.00	...	198.00
10. प्रशिक्षण	2515	9.85	7.75	17.60	10.85	7.60	18.45	17.63	7.75	25.38
	3601	5.00	...	5.00	6.00	...	6.00	3.07	...	3.07
	जोड़	*14.85*	*7.75*	*22.60*	*16.85*	*7.60*	*24.45*	*20.70*	*7.75*	*28.45*
11. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	2515	41.20	1.71	42.91	42.20	1.50	43.70	41.25	1.52	42.77
	3601	2.45	...	2.45	2.05	...	2.05	3.75	...	3.75
	जोड़	*43.65*	*1.71*	*45.36*	*44.25*	*1.50*	*45.75*	*45.00*	*1.52*	*46.52*
जोड़ - ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम		**256.50**	**9.46**	**265.96**	**239.10**	**9.10**	**248.20**	**263.70**	**9.27**	**272.97**
राज्य आयोजना										
12. निधि-अन्तरण										
को	3054	...	...	...	...	...	...	2500.00	...	2500.00
से	3601	...	...	...	...	...	...	-2500.00	...	-2500.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2000-2001 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)										
13.01 ग्रामीण सड़कें	3601	1125.00	...	1125.00	1125.00	...	1125.00	2500.00	...	2500.00
	7601	1375.00	...	1375.00	1375.00	...	1375.00	...	...	...
	जोड़	*2500.00*	*...*	*2500.00*	*2500.00*	*...*	*2500.00*	*2500.00*	*...*	*2500.00*
14. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	676.00	...	676.00	738.55	...	738.55	660.50	...	660.50
	4552	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
	जोड़	*676.00*	*...*	*676.00*	*738.55*	*...*	*738.55*	*670.50*	*...*	*670.50*
कुल जोड़		***9260.00***	***18.99***	***9278.99***	***8869.55***	***18.84***	***8888.39***	***9205.00***	***19.49***	***9224.49***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. आवास और शहरी विकास निगम	22216	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00
जोड़	**22216**	**100.00**	**...**	**100.00**	**100.00**	**...**	**100.00**	**50.00**	**...**	**50.00**
ग. आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	900.00	...	900.00	370.00	...	370.00	450.00	...	450.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	2655.00	...	2655.00	2798.40	...	2798.40	2925.00	...	2925.00
3. आवास	22216	1539.00	...	1539.00	1490.00	...	1490.00	1374.30	...	1374.30
4. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	733.50	...	733.50	733.50	...	733.50	1021.50	...	1021.50
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	256.50	...	256.50	239.10	...	239.10	263.70	...	263.70
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	676.00	...	676.00	738.55	...	738.55	670.50	...	670.50
राज्य योजना										
7. प्रधान मंत्री ग्रामोदया योजना (पीएमजीवाई)										
- ग्रामीण सड़कें	43601	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00
जोड़		**9260.00**	**...**	**9260.00**	**8869.55**	**...**	**8869.55**	**9205.00**	**...**	**9205.00**

1. इसमें ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2 और 3 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) नामक यह नया कार्यक्रम 1.4.1999 से प्रभावी हुआ है। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य प्रत्येक सहायता-प्राप्त परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एस.जी.एस.वाई. को एक ऐसे समग्र कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है जिसमें स्वरोजगार के भी पहलू शामिल हैं जैसेकि ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना और उनकी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, गतिविधि समूह का नियोजन, आधारभूत ढांचा विकास, बैंक ऋणों तथा आर्थिक सहायता एवं विपणन सहायता के जरिए वित्तीय सहायता आदि। विगत अनुभव से पता चलता है कि यदि प्रयास व्यक्ति-आधारित होने की बजाय समूह आधारित हों तो सफलता की संभावना अधिक रहती है। इसलिए इस कार्यक्रम में समूह-तरीका अपनाकर लघु-उद्यमों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। संसाधनों की उपलब्धता, लोगों के व्यावसायिक कौशल और उत्पाद की विक्रेयता के आधार पर प्रत्येक ब्लाक में 4 से 5 प्रमुख गतिविधियों की पहचान की जाती है। इन प्रमुख गतिविधियों का चयन ब्लाक स्तर पर पंचायत समितियों और जिला स्तर पर जिला परिषद/डी.आर.डी.ए. के अनुमोदन से किया जाना होता है। एस.जी.एस.वाई. की सहायता का प्रमुख हिस्सा सामूहिक गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निकटता से संबद्ध और जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक प्रमुख गतिविधि के लिए परियोजना रिपोर्टें बैंकों के सक्रिय सहयोग के साथ तैयार की जाती हैं। ऐसा ऋणों की समय पर मंजूरी और बैंक के वित्तपोषण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए हैं। केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में निधियों को बांटा जाता है। इस योजना के लक्षित समूह में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार इस समूह के अन्तर्गत अ.जा./अनु. जनजाति का हिस्सा 50 प्रतिशत महिलाओं का 40 प्रतिशत तथा अपंगों के लिए 3 प्रतिशत होगा।

4. भूतपूर्व जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रम की पुनर्संरचना की गई है और उसे अब जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) कहा जाता है। यह नवीकृत कार्यक्रम 1.4.1999 से लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामान्य तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और विशेष रूप से जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए ग्राम स्तर पर आवश्यकता-आधारित ग्रामीण आधारभूत ढांचा तैयार करना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निवास स्थानों, शिक्षा और जन-स्वास्थ्य के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करने को प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकसित करता है बल्कि निर्धनतम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को अलग परिसंपत्तियां भी प्रदान करता है क्योंकि 22.5% निधियां उनके लिए निर्धारित हैं। रोज़गार के 30% अवसर भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जे.जी.एस.वाई. की 100% निधियां अधिक वित्तीय स्वायत्तता विकसित करने के लिए ग्राम पंचायतों को दी जाती हैं। बुनियादी स्तर पर जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को ग्राम सभा के अनुमोदन से 50,000 रुपए के निर्माण कार्य स्वतंत्र रूप से करने की शक्ति दी गई है। आवंटित निधियों के 15% हिस्से को अधिक स्थायित्व के लिए कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु निर्धारित किया गया है। केन्द्र और राज्य के बीच निधियों को 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है।

5. रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) एकल मज़दूरी रोज़गार योजना है जो देशभर में चल रही है। ईएएस का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण निर्धनों के लिए शारीरिक श्रम के ज़रिए अतिरिक्त मज़दूरी रोजगार सृजित करना है और गौण उद्देश्य स्थायी रोज़गार एवं विकास हेतु स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन करना

है। कार्यक्रम के गत पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर इस कार्यक्रम की 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्संरचना की गई है और संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि योजना के बुनियादी स्वरूप को बनाए रखा गया है, योजना के मांग-आधारित स्वरूप को बदलकर आवंटन आधारित कर दिया गया है। केन्द्र और राज्य के बीच निधियों को 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन देश में कुल ग्रामीण निर्धनों में राज्य में ग्रामीण निर्धनों के अनुपात के आधार पर किया जाता हैं। लोक तांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के अंतर्गत जिला परिषदों को "कार्यान्वयन प्राधिकरण" के रूप में नामित किया गया है। डीआरडीए को दो किश्तों में धनराशि दी जाती है जो धन का 70% हिस्सा पंचायत समितियों के और शेष 30% हिस्सा ज़िला परिषदों को अंतरित करते हैं जो आपदा के क्षेत्रों में इन निधियों को इस्तेमाल करते हैं

6. ग्रामीण निर्धनों की आवास संबंधी जरुरतों को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना के रूप में मई, 1985 में इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) आरंभ की गई। 1 जनवरी, 1996 से इसे स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, स्वतंत्र किए गए बंधक मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्रामीण निर्धनों को अनुदान सहायता देकर उनके निवास-स्थानों और मौजूदा खराब कच्चे घरों को ठीक करना है। 1995-96 से, आई.ए.वाई. के लाभ आय के मानदंड पर विचार न करते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन विधवा महिलाओं और युद्ध में मारे गए रक्षाकर्मी के निकटतम संबंधी को भी दे दिए गए हैं। (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं; (ii) उन्हें आश्रय पुनर्वास की किसी अन्य योजना में कवर नहीं किया गया है; और (iii) वे बेघर है अधवा आश्रय में सुधार करने हेतु उन्हें आश्रय स्थल की आवश्यकता है अर्द्ध सैन्य बलों के भूतपूर्व सैनिकों तथा सेवानिवृत्त सदस्यों को भी ये लाभ उस स्थिति में प्रदान किए गए हैं जबतक कि वे इन्दिरा आवास योजना की सामान्य शर्तों को पूरा करते हैं और जिन्हें किसी अन्य आश्रय पुनर्वास योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, निधियों का 3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अपंग व्यक्तियों के लाभ के लिए आरक्षित है। मैदानी इलाकों में प्रत्येक मकान के लिए सहायता की उच्चतम सीमा 20,000 रुपए तथा पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22,000 रु. है। वर्ष 1999-2000 से 10,000 रुपए प्रति इकाई की दर पर कच्चे मकानों को ठीक करने की योजना भी प्रारम्भ की गयी है, इन्दिरा आवास योजना की निधि का 20 प्रतिशत भाग इस शीर्ष के तहत आबंटित किया जाता है, केन्द्र और राज्यों के बीच निधियों का बंटवारा 75:25 अनुपात में किया जाता है। दिनांक 1-4-1999 से प्रारम्भ की गयी ऋण एवं सब्सिडी योजना अब चालू है और उसका उद्देश्य 32,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण हेतु निधियों की व्यवस्था कराना है। इन ग्रामीण परिवारों को पहले इन्दिरा आवास योजना में शामिल नहीं किया गया है परन्तु इस उपाय से वे अपना मकान बनाने हेतु पात्र हो गए हैं। पात्र परिवारों को 10,000/- रुपए तक की सब्सिडी तथा 40,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण परिवारों को ऋण उपलब्धता में सुधार करने के लिए हुडको को इक्विटी सहायता भी दी जा रही है। समग्र रूप से बेहतर आवास-व्यवस्था, जिसमें सफाई और पेयजल संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा गया हो, मुहैया कराने के लिए 1.4.1999 से समग्र आवास योजना आरंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत की प्रौद्योगिकियों, सामग्री, डिजाइन आदि को बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए, 1.4.1999 से ग्रामीण आवास और आवास-स्थान विकास की प्रवर्तनकारी धारा नामक योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षण और कम लागत निर्माण संघटकों के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण, कौशलों के उन्नयन के उद्देश्य हेतु देश में "ग्रामीण निर्माण-केन्द्र" स्थापित करने की योजना 1.4.1999 से शुरु की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.4.1999 से राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन की स्थापना की गयी है ताकि इस क्षेत्र में निरन्तर विज्ञान तथा प्रौद्यगिकी के निवेश को शामिल करना सम्भव है और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को विनिर्दिष्ट समय सूची तथा सामुदायिक तौर पर पारस्परिक मध्यस्थता के जरिए वहनीय आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रौद्योगिकी, अधिवास तथा ऊर्जा सम्बन्धी मामलों की ओर उन्मुख किया जा सके।

7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) जो 15 अगस्त, 1995 को प्रभावी हुआ, केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके 2000-01 तक अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय निधियां दी जाती हैं। इसके तीन संघटक हैं अर्थात् राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना। यह निर्धन परिवारों के लिए एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है और इस मामले में केन्द्र और राज्य सरकारों की समवर्ती जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए संविधान की धारा 41 और 42 में निहित नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम का द्योतक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना है जिनके पास निर्वाह का कोई साधन न हो अथवा कोई नियमित साधन न हो, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता देना है। जहां राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अधीन देय लाभ 75/- रुपए प्रतिमाह हैं, वहीं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत यह लाभ राशी 10,000/- रुपए है। ग्राम पंचायत/नगरपालिकाएं लाभ-भोगियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होंगी, इस कार्यक्रम में अधीन देय इन लाभों को अधिमानतः ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा/जन सभाओं में और शहरी क्षेत्रों में रिहायशी/मोहल्ला समितियों की बैठकों में वितरित किया जाएगा।

8. "अन्नपूर्णा " नामक इस मूल स्कीम का उद्देश्य ऐसे सभी व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होते हुए भी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अन्तर्गत शामिल किए जाने से वंचित रह जाते हैं, प्रति माह 10 कि. ग्राम की दर से खाद्यान्नों की खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है। इस योजना को अब संशोधित कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय से परामर्श कर पहली बार में इस योजना में उन व्यक्तियों को शामिल करने हेतु विस्तारित करने के उपाय किए जा रहे है जिन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन स्कीम के तहत शामिल किया गया है (लगभग 68.61 लाख) इसमें "अन्नपूर्णा " के अधीन प्रारम्भ में श्मिल किए जाने वाले लक्षित लाभ भोगों (13.76 लाख) शामिल नहीं है।

9. इस योजना का उद्देश्य डी.आर.डी.ए. को मजबूत बनाना और उन्हें अधिक पेशेवर एवं प्रभावी बनाना है। इसे एक ओर तो मंत्रालय के निर्धनता-रोधी कार्यक्रमों की प्रबंध-व्यवस्था करने में सक्षम विशेषज्ञता प्राप्त अभिकरण के रूप में और दूसरी ओर इन कार्यक्रमों को जिले में निर्धनता उन्मूलन के समग्र प्रयासों से कारगर ढंग से जोड़ने वाले अभिकरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए इस योजना का वित्तपोषण केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

10. इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और राज्य ग्रामीण विकास एवं विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को मजबूत बनाने हेतु प्रावधान शामिल है।

11. इसमें स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलोजी की सहायता, पंचायती राज की संस्थाओं की सहायता,आई ई. सी. गतिविधियां, मॉनीटरिंग तंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

12 और 13. यह प्रावधान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए है जो ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु 100 प्रतिशत अनुदान स्कीम है। इसका वित्तपोषण हाई स्पीड डीजल पर लगाए जा रहे 1 रुपया प्रति लिटर उपकर के 50 प्रतिशत भाग से किया जाता है।

14. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के विकास के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के संम्बंध में है।